17/12/24

उभय पक्ष उप० प्रार्थना पत्र सहमति पत्र दिनांक 08.11.24 अनुसार स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/203

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:41 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश मुकाम सूरतगढ़।

सरोज बनाम जगदीश आदि।

प्रकरण संख्या 90/24 **किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र 251 क आर.टी.ए.**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुए तामिल मे जारी हुए
GCMS:- 2024/203		
17.12.24	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राजीनामा के आधार पर रिमाण्ड हुई पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई व उभय पक्ष ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार करने का निवेदन किया । उभय पक्ष ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत राजीनामा व इस अदालत के समक्ष प्रसतुत सहमति पत्र अनुसार अप्रार्थी न 1 ने अपने नाम के चक 24 एस.डी. के पत्थर न 159/422 के किला न 25 के उतरी पूर्वी कोना मे एव अप्रार्थी के कूऐ के बीच के 8.5 गूणा 12.5 फुट रकबा मे रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे यह रास्ता स्वीकार करने मे अप्रार्थी भी सहमत है तथा इस अदालत द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 22.04.2016 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त हो जाने से इसकी पालना मे सरोजदेवी द्वारा दिनांक 19.05.2016 को जमा करवाई गई 14190/अखरे चौदह हजार एक सौ नब्बे रूपये सरोज देवी के फौत हो जाने से उसके वारिस उसके पति करतार सिह को लौटा दिया जावे । उभय पक्ष की बहस सुन कर पत्रावली का गहनता से मनन किया गया । चुकि प्रकरण मे उभय पक्ष आपसी सहमति से अप्रार्थी न 1 ने अपने नाम के चक 24 एस.डी. के पत्थर न 159/422 के किला न 25 के उतरी पूर्वी कोना मे एव अप्रार्थी के कूऐ के बीच के 8.5 गूणा 12.5 फुट रकबा मे रास्ता स्वीकृत कराना चाहते है व अप्रार्थी बिना प्रतिफल रास्ता मंजुर करवाने मे सहमत है तथा इतना रास्ता स्वीकार होने से वहॉ पर विधमान सार्वजनिक रास्ता से मिलान हो जावेगा इसलिये यह रास्ता स्वीकार करना उचित समझते है व इस प्रकरण मे पारित रास्ता स्वीकृति के पुर्व आदेश दिनांक 22.04.2016 राजस्व मण्डल अजमेर से निरस्त हो जाने से इस आदेश की पालना मे सरोज देवी द्वारा जमा राशी उसके वारिसो को लौटाना उचित समझते है चुकि उसके तीन वारिस है व सरोजदेवी के दोनो पुत्र अपने पिता करतारसिह को राशी देने मे सहमत हे इसलिये यह राशी करतारसिह को लोटाना उचित समझते है। अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थी न 1 जगदीश पुत्र जगरूप जाति अहीर के नाम के चक 24 एस.डी. के पत्थर न 159/422 के किला न 25 के उतरी पूर्वी कोना मे एव अप्रार्थी के कूऐ के बीच 8.5 फुट गूणा 12.5 फुट रकबा मे रास्ता स्वीकृत किया जाता है व अप्रार्थी के इस किला मे से यह रकबा कमाण्ड मे से गैर मुमकिन दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा इस अदालत के इसी प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 22.04.2016 निरस्त हो जाने से इस आदेश की पालना मे सरोज देवी द्वारा तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष रसीद न 66 दिनांक 19.05.2016 से राजकोष मे जमा 14190/ अखरे चौदह हजार एक सौ नब्बे रूप्ये सरोजदेवी के फौत हो जाने से उसके पति करतारसिह पुत्र दरियाबसिह जाति जाट साकिन वार्ड न 15 सूरतगढ को लोटाया जाने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिया जाता है। आदेशी की पालना में पत्र जारी हो । फैसला सरे [illegible] सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.12.19 13:08:41 IST Reason: SelfAttested (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़